(8)

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक 2527/एफ 20-29/2010/19/तक-4.—छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 4 सहपठित भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 (क्र. 8 सन् 1932) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व के अधिसूचना क्र. 2233/22/92/06/19/तकनीकी, दिनांक 27 मार्च 2006 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य में पुलों पर उद्ग्रहित की जाने वाली पथकर की निम्नलिखित दरें अधिरोपित करती है :—

स. क्र.	वाहनों का विवरण	दिनांक 01-04-2011 से उद्ग्रहित किये जाने वाले पथकर की दरें
(1)	(2)	(3)
1.	टेम्पो, टेक्सी, मिनीबस, मेटाडोर, भरा/खाली स्टेशन वेगन या उसके समकक्ष वाहन	40.00
2.	प्रायवेट कार, जीप पिकअप	20.00
3.	खाली ट्रक, भरी बस/खाली बस	60.00
4.	ट्रक लोडेड	80.00
5.	मल्टी एक्सल ट्रक ट्रेलर	100.00
6.	अर्थ मूव्हींग मशीनरी (प्रति टन)	12.00

ये दरें उन कार्यों पर लागू नहीं होगी जिनका सन्निर्माण किया जा रहा है या सरकार की निर्मित तथा स्थानांतरित योजना के अधीन सन्निर्माण किया जायेगा, जिसके लिए पूर्व में करार निष्पादित किए गए हैं.

(9)

किसी भी वाहन से पथकर की दरें दिन में केवल एक बार ही उद्ग्रहित की जाएगी जैसे 6.00 ए.एम. से 6.00 ए.एम. तक. उक्त समस्त
: 01-04-2011 से प्रवृत्त होंगी.

Raipur, the 29th March 2011

NOTIFICATION

No. 2527/F 20-29/10/19/Tech-4.—In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Indian Tolls Act sgarh Amendment) Act, 1932 (No. 8 of 1932) read with Section 4 in its application to the State of Chhattisgarh lls Act, 1851 (No. VIII of 1851) and in supersession of the previous Notification No. 2233/22/92/06/19/Tech., th March 2006 the State Government hereby, impose the following rates of tolls to be levied on bridges in the

Description of Vehicles (2)	Rate of tolls to be levied from 01-04-2011 (3)
Tempo, Texi, Minibus, Matador, Loaded or Empty Station Wagon or equivalent vehicle.	40.00
Private Car, Jeep Pickup	20.00
Empty Truck, Loaded Bus and Empty Bus	60.00
Loaded Truck	80.00
Multi Axle Truck Trailer	100.00
Earth Moving Machinery (per ton)	12.00

These rates shall not be applicable on those works which are being constructed or shall be constructed under perate and Transfer Scheme of the Government, for which agreements have already been executed.

The toll rates will be levied only once in a day i.e. from 6.00 AM to 6.00 AM from any vehicle. The above all l come into force from 01-04-2011.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.